~~विवादित~~ बाबत ~~संशोधन~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	प्रतिवादी संख्या 6 का सम्मन तलबाना पेश किया। जिस पर प्रतिवाकदी संख्या 6 की तामील जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 31.01.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
31.01.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 6 की तामील साधारण तरीके से असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने वादपत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने एंव वादपत्र में पटवारी हल्का मउ से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 05.02.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
05.02.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया। 05/02/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 11:41:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
10 / 2023	2023 / 23	16.01.2023	05.02.2024

उनवान प्रकरण

चोथमल पुत्र स्व. जीवनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–वादी–

बनाम्

1. खेमचन्द पुत्र मदनलाल आयु साल
2. पुरुषोत्तम लाल पुत्र मदनलाल आयु साल
3. मोहनलाल पुत्र मदनलाल आयु साल
4. लीला देवी पुत्री मदनलाल आयु साल

जाति महाजन निवासी ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

5. उप पंजियक तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
6. पटवारी हल्का मउ तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
7. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

श्री सरदार सिंह चौधरी, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 11:41:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

05/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादपत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 2550 रकबा 1.4400 हैक्टर बारानी–3 तन ग्राम मऊ पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 1137 मि., 1136/1355 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर वादी वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है एवं वादी से पूर्व वादी का पिता जीवनसिंह काबिज काश्त चला आ रहा था एवं वादी के पिता का नाम उक्त भूमि की खसरा गिरदावरियां संवत 2016 से 2019 में दर्ज है। इससे साबित है कि वादी का कब्जा काश्त उक्त भूमि पर वक्त बुजुर्गान के समय से चला आ रहा है परन्तु उक्त भूमि की खातेदारी सैटिलमेन्ट कर्मचारियों एवं राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण प्रतिवादी संख्या–1 ता 4 के पिता मदनलाल पुत्र बालूराम जाति महाजन के नाम गलत रूप से दर्ज हो गयी जबकि यहां यह उल्लेखनीय हैं कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या–1 ता 4 का कोई कब्जा काश्त नहीं है एंव ना ही प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता मदनलाल पुत्र बालुराम का रहा है। उक्त भूमि पर वादी वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त चला आ रहा हैं एव वादी के पूर्व उसका पिता जीवनसिंह काबिज काश्त चला आ रहा था। इसलिए वादी उक्त भूमि का प्रतिकूल कब्जा बाई आपरेशन ऑफ [illegible] पर भी कानूनन खातेदार काश्तकार हो चुका है। इसलिए उक्त भूमि की [illegible] अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण [illegible] उक्त भूमि की गलत खातेदारी की आड में दिगर को विक्रय रहन अन्तरण करने एवं दिगर का बलात कब्जा करवाने एवं वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 11:41:26 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

भूमि से बेदखल करने एवं दिगर से करवाने एव वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करने एवं दिगर से करवाने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पांवद करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण हां करते आ रहे है परन्तु दिनांक 10.01.2023 को इन्कार हो गये एवं वादी को धमकी दी कि भूमि का विरारसत का नामान्तरकण दर्ज करवाकर भूमि को दिगर भू–माफिया गिरोह के लोगो को बेचान रहन अन्तरण करके भूमि पर दिगर का बलात कब्जा करवाकर रहेगें एवं वादी को भूमि से बेदखल करवाकर रहेगें। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है किः– कृषि भूमि खसरा नम्बर 2550 रकबा 1.4400 हैक्टर बारानी–3 तन ग्राम मऊ पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व इनके मृतक पिता मदनलाल पुत्र बालूराम का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त करवायी जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पांवद फरमाये जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि को गलत खातेदारी की आड़ में दिगर को विक्रय रहन अन्तरण नहीं करे, ना ही दिगर का बलात कब्जा करवाये, ना ही वादी को बेदखल करे, ना ही कब्जा काश्त में मजाहमत करें, ना ही दिगर से करवाये तथा प्रतिवादी संख्या–5 ता 7 को भी पांवद फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि का विक्रय रहन, अन्तरण लेख तस्दीक नहीं करें, ना ही राजस्व रिकार्ड परिवर्तन करे बल्कि मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने बावत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में करते हुए यह वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 11:41:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

05/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 व 7 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से एवं प्रतिवादी संख्या 6 की तामील साधारण तरीके से करवाई जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी के मुख्य परीक्षण में वादी चौथमल पुत्र स्व0 जीवन सिंह जाति राजपूत लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये। प्रकरण में वकील वादी ने वादग्रस्त आराजी भूमि के मौके की वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहने हेतु पटवारी हल्का मउ से चाही गई। जिस पर पटवारी हल्का मउ ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया कि उक्त खसरा नम्बर 2550 में चौथमल पुत्र जीवणराम जाति राजपूत निवासी मउ के द्वारा खेती कार्य (काश्त) किया जा रहा है। मौके पर बाजरे की फसल की कटाई पूर्व में की जाना तथा वर्तमान में मौके पर फसल काश्त नहीं की जाना तथा कड़ब के पुले छुरे मौके पर लगे हुए होना एंव झोपड़ी बनी हुई होना अंकित किया है। वकील वादी ने वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने तथा पटवारी हल्का मउ से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुनी जाकर वादपत्र का अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस [illegible] मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व [illegible] आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 जमाबन्दी, पटवारी हल्का मउ की वस्तुस्थिति [illegible] मौका जॉच रिपोर्ट, साक्ष्य वादी के मुख्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 11:41:26 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

परीक्षण मे पेश वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 2550 के पुराने भूमि खसरा नम्बर 1136 / 1355, 1137 मि० की खसरा गिरदावरी में सम्वत् 2016 में जीवनराम दरोगा का नाम अंकित होना प्रकट होता है। जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों पर वादी का कब्जा काश्त वक्त बुजुर्गान के समय से चला आना तथा वादी से पूर्व उसका पिता जीवनसिंह काबिज काश्त चला आना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। वादी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के आधार पर भी कानूनन खातेदार काश्तकार होने से वादी को खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादी को उक्त भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना प्राकृतिक न्याय की भावना को मध्यनजर रखते हुए खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा किये जाने हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया [illegible] है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2550 रकबा 14400 [illegible] मऊ पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादी को [illegible]तेदार काश्तकार घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 11:41:26 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जाता है तथा उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व इनके मृतक पिता मदनलाल पुत्र बालूराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्तानुसार भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करे, ना ही दिगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

05/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 11:41:26 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)